07.03.2024— पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा से विभाजन स्कीम पत्र कमांक/भू.अ./2024/621 दिनांक 7.03.2024 से प्राप्त हुई। वादी अधिवक्ता ने कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी बंशी पिता छगना कीर की मृत्यु हो चुकी है, इसके साथ ही बंशी के पुत्र मदन व गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिए बंशी पिता छगना कीर के विधिक वारिसारन को रेकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है। बंशी के विधिक वारिसान में पुत्र माधु एवं बंशी के पुत्र मदन मृतक के वारिसान में नन्दलाल पुत्र कमल पुत्र दिनेश पुत्र, शंकर पत्नि होना एवं गोपाल मृतक के विधिक वारिसान में शम्भू पुत्र, किशन पुत्र, मैना पुत्री, पुष्पा पत्नि होना अंकित किया है, इस प्रकार मृतक बंशी पिता छगना कीर मृतक मदन पिता बंशी एवं मृतक गोपाल पिता बंशी के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है एवं विभाजन स्कीम में बंशी पिता छगना कीर का हिस्सा 253/271 में माधु पिता बंशी, नन्दलाल पिता मदन, कमल पिता मदन, दिनेश पिता मदन, शंकर पत्नि मदन कीर, शम्भू पिता गोपाल, किशन पिता गोपाल, मेना पुत्री गोपाल, पुष्पा पत्नि गोपाल कीर का 253/271 हिस्से में नाम प्रतिस्थापित किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार नारायणलाल पुत्र केदारमल लढ्ढा निवासी आर0सी0 व्यास कालोनी भीलवाडा के हिस्से में विभाजन से आराजी संख्या 91 क्षेत्रफल 0.1644 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 100/1 क्षेत्रफल 0.1770 हैक्टेयर रहेगी इसी प्रकार बंशी पिता छगना कीर 253/271 मृतक के बजाय माधु पिता बंशी, नंदलाल, कमल, दिनेश पुत्र मदन कीर, शंकर पत्नि मदन कीर, शम्भू, किशन पुत्र मैना पुत्री, पुष्पा पत्नि, गोपाल कीर एवं लक्ष्मण पिता मोहन कीर हिस्सा 126/1897 कीर सा0 मंगरोप आराजी नम्बर 100/2 क्षेत्रफल 0.1897 हैक्टेयर रहेगी। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है, तहसीलदार भीलवाडा अन्तिम डिक्री के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। राजस्व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

श्री मान उपखण्ड अधिकारी

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1–श्री नारायण लाल पिता केदारमल लढढा निवासी 02 एफ 11 आर0सी0 व्यास कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

––वादी

बनाम

1–श्री बंशी पिता छगना कीर निवासी मंगरोप मृतक के कायम मुकाम विधिक वारिसानः–
1/1–माधु पिता स्व. बंशी कीर वगैराह
2– श्री लक्ष्मण पिता मोहन कीर निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या 72/2023 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैन उपस्थित प्रतिवादीगण की और से – इस वाद में तारीख 07.03.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति **सोमनाथ, आई.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष **अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है –**

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकारकिया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम कचोलिया प0ह0 मण्डपिया भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा में विभाजन से अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार जारी की जाती है

1. वादी नारायणलाल पुत्र केदारमल लढ्ढा निवासी आर0सी0 व्यास कालोनी भीलवाडा के हिस्से में विभाजन से आराजी संख्या 91 क्षैत्रफल 0.1644 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 100/1 क्षैत्रफल 0.1770 हैक्टेयर भूमि रहेगी
2. प्रतिवादीगण बंशी पिता छगना कीर 253/271 हिस्सा मृतक के बजाय माधु पिता बंशी, नंदलाल, कमल, दिनेश पुत्र मदन कीर, शंकर पत्नि मदन कीर, शम्भू, किशन पुत्र मैना पुत्री, पुष्पा पत्नि, गोपाल कीर एवं लक्ष्मण पिता मोहन कीर हिस्सा 126/1897 कीर सा0 मंगरोप के आराजी नम्बर 100/2 क्षैत्रफल 0.1897 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है, तहसीलदार भीलवाडा अन्तिम डिक्री के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। राजस्व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा